



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-269986
CG-DL-E-10022026-269986

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 107]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 113 (अ)— भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 13 नवम्बर, 2025 को सा.का.नि. 846 (ड.) के तहत प्रकाशित भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 13 नवम्बर, 2025 की अधिसूचना में,—

(i) पेज 24 में,—

(क) लाइन 22, के लिए “इस राजपत्र के”, पढ़ा जाए “सरकारी राजपत्र में”;

(ख) लाइन 24, के लिए “इस राजपत्र के”, पढ़ा जाए “सरकारी राजपत्र में”;

(ii) पेज 29 में, लाइन 44, के लिए “विभाग”, पढ़ा जाए “विभागों”;

(iii) पेज 32 में, लाइन 4, के लिए “ऐसी स्थिति के आलोक में”, पढ़ा जाए “ऐसे आदेश के आलोक में”;

(iv) पेज 34 में,—

(क) लाइन 1, के लिए “प्रत्येक”, पढ़ा जाए “प्रत्येक व्यक्ति”;

(ख) लाइन 26 में, के लिए “(18 अथवा 2013)”, पढ़ा जाए “(2013 का 18वाँ)”;

(v) पेज 38 में,—

- (क) लाइन 2, के लिए “.”, पढ़ा जाए “;” और
- (ख) लाइनों 1 से 15, के लिए “(क) से (च)”, पढ़ा जाए “(क) से (छ)”

[फा. सं. एए-11038/8/2025-सीएल एवं ईएस]

अजित कुमार, संयुक्त सचिव